न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –04/2015 वाद
GCMS No. – 2016/00437

1. श्री अम्बालाल पिता मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
2. श्री शान्तिलाल पिता माँगीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
3. श्री बाबुलाल पिता मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
4. मु० सीताबाई पुत्री मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
5. मु० राम कंवरी पुत्री मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
6. मु० कनीबाई बेवा मांगीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०

वादीगण

बनाम

1. श्री रामलाल पिता परथा जी जाति धाकड (पचोरिया) निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा मृतक के बजाय :–

1. श्री रमेशचन्द्र पिता रामलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
2. श्रीमति कैलाशी पुत्री रामलाल जी जाति धाकड उम्र 38 साल निवासी कनेरा हाल पत्नि निर्भयराम जी निवासी लुणखण्दा तहसील निम्बाहेडा राज०
3. मु० गुड्डी पत्नि स्व० मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा
4. श्री अतुल पिता मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज० नाबालिग सरपरस्ति माता खुद मु० गुड्डी बेवा मोहनलाल जी धाकड नि० कनेरा
5. मु० रामकंवरी पत्नि स्व० रामलाल जी जाति धाकड उम्र 61 साल निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता वादीगण
2– श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक :– 07.02.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जडूलीबाई बेवा परथा जी साकिन कनेरा के खातेदारी की आराजी खाता सं० 149 के तहती कुल किता आराजी 7 कुल रकबा 10 बिघा 2 बिस्वा व खाता संख्या 7 की किता 1 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वाव वाके मौजा कनेरा में स्थित होकर जडूलीबाई के ही खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी और जडूलीबाई के ही खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी और जहूलीबाई के कोई जाइन्दा लडका लडकी नही

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

होने की वजह से और मु0 जडूलीबाई के स्वर्गवास होने से पूर्व उनके पति परथा जी का स्वर्गवास हो चुका था मु0 जडूलीबाई ने अपने जीवन काल में अपने स्व0 पति परथा जी की सहमति से श्री स्व0 जडूलीबाई के स्वर्गवास होने से पूर्व पति परथा जी का स्वर्गवास हो चुका था मु0 जडूलीबाई ने अपने जीवनकाल में अपने स्व0 पति परथा जी की सहमति से श्री स्व० रामलाल पिता उम्मेदा जी जाति धाकड बामादिया निवासी कनेरा को स्व0 जडूलीबाई के खाता संख्या 149 व खाता सं० 7 के तहत जो भी आराजी गांव कनेरा में उनके खाते की थी को स्व० रामलाल जी के हक में बक्षीश कर बक्षीशनामा रजिस्टर्ड करा स्व० रामलाल जी के सिपुर्द किया तब से स्व0 रामलाल जडूलीबाई के गोद जाने से व बक्षीशनामा करने की वजह से उनके पिता का नाम भी परथा लिखा गया और स्व० जडूलीबाई के खातेदारी की आराजीयात दोनों खातों की स्व० रामलाल जी के खाते में आ गई परन्तु खांता सं० 7 की आराजी जिनके आनं0 1273 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा जिसके वर्तमान नम्बर 2292 रकबा 0.62 हैक्टेयर को वापस वादीगण के नाम पर कराने की कहा और यह वह इन्कार हो गये से पैदा होकर उसके बाद हर रोज दावा पैदा होने से यह दावा अन्दर अवधि पेश है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी ने वकालतनामा मय जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 7 की आराजी ग्राम कनेरा मे होना स्वीकार हैं, परन्तु यह स्वीकार नहीं हैं कि उक्त आराजी झडुलीबाई के खाते में दर्ज थी। झडुलीबाई एवं परथा जी का कोई जाईन्दा लडका–लडकी नही होना जानकारी के अभाव में स्वीकार नही हैं तथा उनके द्वारा स्व०रामलाल पिता उम्मेदा को गोद लिया तथा बक्षीश द्वारा उनके खाते की जमीन रामलाल के खाते में आई हैं, जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। आराजी नं0 1273 शुरु से ही प्रतिवादीगण के पिता स्व० रामलाल के खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं, एवं कब्जा भी बराबर स्व० रामलाल का तथा उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण काचला आ रहा है। अतः चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य मनगढन्त व काल्पनिक लिखे हैं, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।वर्णित आराजी नं0 1273 शुरु से ही प्रतिवादीगण के पिता स्व०रामलाल तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज चली आ रही हैं। स्व०रामलाल पिता परथाजी धाकड बामनिया नाम का व्यक्ति कोई था ही नही वादीगण के पिता तथा प्रतिवादी तथा उसके पिता का एक ही नाम गलत अंकित किया गया है, वादीगण के पिता द्वारा आराजी नं0 1333/2 खरीदा स्वीकार हैं, शेष तथ्य गलत, मनगढन्त एवं काल्पनिक होने से स्वीकार नहीं है। विकय पत्र के आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 888 भरा गया जो सिर्फ विक्रय शुदा आराजी का ही भरा गया एवं स्वीकृत हुआ उक्त नामान्तरण के साथ आराजी नं0 1273 का नामान्तरणकरण गलत रुप से भरा तथा फैसल किया गलत लिखा है यदि गलत नामान्तरण भरा गया होता तो उसका निरस्त करने हेतु अपील पेश की जानी चाहिए थी। आराजी नं0 1273 शुरु से ही प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जिसके वर्तमान आराजी नं0 2292 हैं। उक्त आराजी को वादीगण ने कभी भी प्रतिवादी को वादीगण ने अपने नाम पर कराने हेतु नहीं कहा। अनुतोष पेरा में वादीगण ने जो आराजी नम्बर 1273 नवीन आराजी नम्बर 2292 के संबंध में जो अनुतोष घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का चाहा है, वह विधि विरूद्ध होने से वादीगण अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. वकील प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण दौराने साक्ष्य वादी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्लू 1 अम्बालाल, पीडब्लू 2 बोतलाल, पीडब्लू 3 पुरषोतम उपस्थित जिनके बयान लिए गये। तथा बक्षीक्ष नामा पेश किया की जो प्रदर्शः1ए है, प्रदर्शः2 महक्मे बन्दोबस्त के खसरा गिरदावरी की नकल, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्शः3, प्रदर्शः4, प्रदर्शः5, नकल नामान्तरकरण

प्रदर्श:6, नकल जमाबन्दी प्रदर्श:7, नकल खसरा मेवाड बन्दोबस्त उदयपुर प्रदर्श:8, जीए 55 रसीद प्रदर्श:9 ,वोटर लिस्ट प्रदर्श:10, नक्शा ट्रेस प्रदर्श:11, नकल जमाबन्दी प्रदर्श:12, प्रदर्श:13 प्रतिलिपी व प्रदर्श:14 असल बक्षीक्ष नामा।

4. पत्रावली के अवलोकन उपरान्त संक्षिप्त सार यह है कि उक्त वाद अन्तर्गत धारा इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया वादीगण के जिम्मे वाद बिन्दु जो वादी के जिम्मे क्रमश 1,2,4 थे बखुबी अपने दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से साबित किए है तथा वकील वादी ने भी उपरोक्त तथ्य अपनी बहस में दौराए है जिससे मौझा कनेरा के आराजी नम्बर 2292 रकबा 0.600 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 1273 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा वादीगण के खाते के नाम घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर कतई डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की मौजा कनेरा के आराजी नम्बर 2292 रकबा 0.600 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 1273 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा है जिसे प्रतिवादीगण के नाम जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसे विलोपित कर वादीगण के नाम घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –04/2015 वाद
GCMS No. – 2016/00315

1. श्री अम्बालाल पिता मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
2. श्री शान्तिलाल पिता माँगीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
3. श्री बाबुलाल पिता मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
4. मु० सीताबाई पुत्री मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
5. मु० राम कंवरी पुत्री मांगीलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
6. मु० कनीबाई बेवा मांगीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०

वादीगण

बनाम

1. श्री रामलाल पिता परथा जी जाति धाकड (पचोरिया) निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा मृतक के बजाय :–

2. श्री रमेशचन्द्र पिता रामलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०
3. श्रीमति कैलाशी पुत्री रामलाल जी जाति धाकड उम्र 38 साल निवासी कनेरा हाल पत्नि निर्भयराम जी निवासी लुणखण्दा तहसील निम्बाहेडा राज०
4. मु० गुड्डी पत्नि स्व० मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा
5. श्री अतुल पिता मोहनलाल जी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज० नाबालिग सरपरस्ति माता खुद मु० गुड्डी बेवा मोहनलाल जी धाकड नि० कनेरा
6. मु० रामकंवरी पत्नि स्व० रामलाल जी जाति धाकड उम्र 61 साल निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा राज०

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

:: निर्णय ::

दिनांक :– 07.02.2025

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात वाके की मौजा कनेरा के आराजी नम्बर 2292 रकबा 0.600 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 1273 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा है जिसे प्रतिवादीगण के नाम जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसे विलोपित कर वादीगण के नाम घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा